"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 424] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 26 सितम्बर 2017 —— आश्विन 4, शक 1939

चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 21-07/2008/नौ/55-4. — विभागीय अधिसूचना दिनांक 3-5-2012 द्वारा छत्तीसगढ़ के शासकीय नर्सिंग विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की समस्त सीटें तथा निजी नर्सिंग विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की शासकीय नियतांश की सीटों में प्रवेश हेतु "छत्तीसगढ़ नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2012" बनाये गये है तथा विभागीय अधिसूचना दिनांक 24-8-2017 द्वारा उक्त नियम की कंडिका 4 की उपकंडिका 4 के (1 एवं 2) में संशोधन एवं कंडिका 09 में उपकंडिका 19 के पश्चात् क्रमश: 20 एवं 21 नियम प्रतिस्थापित किया गया है :-

2. राज्य शासन एतद्द्वारा संदर्भित मूल नियम अधिसूचित दिनांक 03 मई, 2012 एवं तत्संबंधित संशोधित नियम दिनांक 24 अगस्त, 2017 को निजी नर्सिंग महाविद्यालयों की ओपन सीटों के आबंटन/प्रवेश के मापदण्ड प्रयोजन हेतु पूर्णत: अंगीकृत करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.